प्रबन्धक की कलम से

'सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात विद्या वही है जिसकी प्राप्ति के पष्चात् मनुश्य सभी प्रकार की कुण्ठाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। षिक्षा मनुश्य की मानसिक संकीर्णता को समाप्त कर देती है। इस आदर्श वाक्य को प्रयोग के धरातल पर सिद्ध करने के लिये संकल्पबद्ध **''श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति''** की स्थापना सन् 2002–2003 ई0 में हुई। संस्था श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, 27–ए, न्यू राय कालोनी, महेवा चुंगी, गोरखपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने सन् 2003 में निर्णय लिया कि गोरखपुर जनपद के ब्रह्मपुर विकास खण्ड में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाये। तदुपरान्त 28 अगस्त 2004 को इसी क्षेत्र में स्थित ग्राम रानापार में दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आचार्य **डॉ0 चितरंजन मिश्र** की अध्यक्षता में मुण्डेरा बाजार विधान सभा की माननीया विधायक **श्रीमती शारदा देवी** ने **अखिलभाग्य महाविद्यालय** की स्थापना हेतु भूमि–पूजन कर आधारशिला रखी। संस्था द्वारा महाविद्यालय की स्थापना हेतु चयनित क्षेत्र अति पिछड़ा एवं दुर्गम है। मुख्यतः यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदियों राप्ती एवं गोर्रा से घिरा हुआ है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। शिक्षा एवं रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण यहां विकास नहीं हो सका है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग आठ इण्टर कालेज है, किन्तु उच्च शिक्षा का एक भी केन्द्र नहीं है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होने के कारण यहां की जनता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने में असमर्थ है, परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसीलिये संस्था ने इस क्षेत्र के शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए **जनहित** में यहां एक महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में यहां के छात्र–छात्रायें महाविद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न हो सकें।

स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों यथा – हिन्दी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान की स्थापना के बाद हमने इस पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को वैज्ञानिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय की स्थापना का निर्णय लिया। इसी क्रम में दिनांक 18 फरवरी 2007 दिन रविवार को गोरखपुर के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी **डॉ0 राम**

लखन सिंह कुशवाहा की गरिमामयी उपस्थिति एवं **प्रो0 जयमल राय** की अध्यक्षता में मुण्डेरा बाजार विधान सभा की माननीया विधायक **श्रीमती शारदा देवी** ने **विज्ञान संकाय के भवन निर्माण का शिलान्यास** किया। हमारी कोशिश होगी कि जुलाई 2010 से स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ हो जायें। इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत, शिक्षा शास्त्र एवं गृह विज्ञान की कक्षाएं भी संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।

इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा हेतु हमने **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम** आरम्भ करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर के आदेश संख्या F.NRC/NCTE/F-7/UP-2913/2008, दिनांक 30 अगस्त, 2008 द्वारा हमें एक वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2008–2009 से आरम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। तदुपरान्त उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 4519/सत्तर–6–2008–2(722)/2008, दिनांक 01 जनवरी, 2009 द्वारा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2008 से मान्यता प्रदान कर दी गयी।

सत्र 2009–10 से **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र** विषयों में कक्षाएं आरम्भ की जा रहीं है।

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों के अध्यापन के साथ–साथ महाविद्यालय परिसर में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे छात्र–छात्राओं के अन्दर समाज सेवा के प्रति उत्साह, शारीरिक परिश्रम में गौरव की भावना तथा राष्ट्रीय कार्यों में अनुराग उत्पन्न हो सके। छात्र–छात्राओं के बौद्धिक संवर्धन के लिए शैक्षणिक पर्यटन के साथ–साथ सांस्कृतिक समारोहों एवं खेल कूद का आयोजन भी किया जायेगा। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल अपने स्तर को बनाये रखने के लिए महाविद्यालय की निम्न भावी योजनायें है–

1. उच्च शैक्षणिक वातावरण बनाने तथा विभिन्न विषयों की वर्तमान स्थिति तथा भावी प्रवृत्ति के ज्ञान हेतु प्रत्येक माह एक उच्चस्तरीय व्याख्यान कराना।
2. महाविद्यालय द्वारा अन्तरविषयक सांस्कृतिक पत्रिका के प्रकाशन की योजना है।
3. समसामयिक विषयों के बारे में शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य स्पष्टता हेतु तथा उनके मौलिक विचारों को एक दूसरे के समक्ष संप्रेषित होने के लिये तथा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं समस्याओं पर संगोष्ठियों के आयोजन की योजना है । इससे जहाँ एक ओर शिक्षकों के बौद्धिक स्तर में अभिवृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की सिद्धता भी आयेगी। इन संगोष्ठियों से छात्रों में भी अन्तरविषयक अभिरूचि पैदा होगी और उनके अन्दर विचार प्रस्तुतिकरण की उपयुक्त विधि आयेगी। इन संगोष्ठियों से छात्र–छात्राओं में समाज के प्रति सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण होगा।
4. भारतीय मान्यताओं, संस्कारों, राष्ट्रीय गौरव और स्थानीय कलाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा छात्र–छात्राओं में अन्तर्निहित सांस्कृतिक क्षमता के प्रस्फुटन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें छात्र–छात्रायें भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगे।

5. वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के प्रति महाविद्यालय संवेदनशील है। इसका यह प्रयास होगा कि इन चुनौतियों को दृष्टिगत कर पारम्परिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ कुछ रोजगार एवं व्यवसायपरक पाठ्यक्रम भी चलाया जाये।
6. प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को इसकी जानकारी देने, परीक्षा की तैयारी कराने एवं पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित पुस्तकों की व्यवस्था करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

डॉ0 सुधीर कुमार राय
प्रबन्धक
मो0 +91 983 933 6064

vko';d lkekU; lpuk

1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस विवरणिका को पढ़कर सभी नियमों से अवगत हो जाएँ और तदनुसार ही प्रवेश–आवेदन पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों का परिपालन आवश्यक होगा।
2. बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा अर्थात् इण्टर की स्थायी अंक–पत्र ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी अंक–पत्र नहीं।
3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के कार्यालय काउन्टर पर जमा किये जायेंगे। अधिकृत व्यक्ति जो महाविद्यालय से सम्बन्धित हो उसे शुल्क दें।
4. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया गया किसी भी तरह का शुल्क वापस नहीं होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी उपकरण की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का देय सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।
6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र विवरणिका सहित कार्यालय से 100/– (सौ रूपये) नगद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। बाहर से अथवा किसी दूसरे से खरीदे आवेदन–पत्रों में त्रुटि की संभावना है और वह निरस्त (रद्द) हो सकता है।
7. महाविद्यालय परिसर में संस्थागत विद्यार्थियों के अलावा बिना उचित कारणों के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे किसी अतिरिक्त असम्बद्ध अथवा वाह्य व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए उत्तरदायी किसी संस्थागत छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
8. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये नियमों एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने का समस्त अधिकार प्रबन्धक/प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

ikB~;fo"k;

यह महाविद्यालय दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सम्बद्धता में निम्नलिखित परीक्षाओं और उपाधियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है।

(क) स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में से किन्ही तीन विषयों का बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयन किया जाय परन्तु एक वर्ग से केवल एक ही विषय चुना जा सकता है–

1. **हिन्दी**

2. **राजनीतिशास्त्र**
3. **समाजशास्त्र**
4. **इतिहास/ प्राचीन इतिहास**
5. **भूगोल/मनोविज्ञान**

विशेष :–

1. यदि किसी छात्र ने हाई स्कूल अथवा इण्टर परीक्षा में पाठ्य विषय के रूप में उच्च हिन्दी नहीं लिया है तो उसका सामान्य हिन्दी लेना अनिवार्य होगा। किन्तु वे छात्र इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे जो बी0ए0 प्रथम वर्ष में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी का चयन करेंगे।
2. प्रत्येक छात्र–छात्रा को बी0ए0 प्रथम वर्ष में राष्ट्र गौरव पढ़ना अनिवार्य होगा।

(ख) स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम

(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषय

i:o'k lEcU/kh fu;e

1. प्रवेशार्थियों को निर्धारित छात्र संख्या सीमा (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी प्रार्थी का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। कोई भी प्रार्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता है चाहे वह प्रवेश के लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो ।
3. प्रथमतः कालेज में सभी प्रार्थियों का प्रवेश अस्थायी होगा जो प्रवेश की तिथि से चार माह के अन्दर कभी भी निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र/छात्रा सम्बन्धित सत्र का 30 जून तक ही बोनाफाइड विद्यार्थी माना जायेगा।
4. बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें जिन्होंने वर्ष 2007 अथवा 2008 में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किन्तु 2007 में इण्टर उत्तीर्ण प्रार्थी को प्रवेश हेतु चुन लिए जाने पर शपथ–पत्र (एफीडेविड) देना होगा कि सन् 2007–08 में उसने कहीं प्रवेश नहीं लिया था। प्रवेशार्थी के लिए यह भी आवश्यक है कि उसने हाईस्कूल परीक्षा 2005 से पूर्व उत्तीर्ण नहीं की है। इण्टर परीक्षा की स्थायी मार्कशीट ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी मार्कशीट नहीं।
5. सूचना पट्ट से प्रवेश सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा।
6. प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
7. प्रवेश उपरान्त किसी भी समय ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई असत्य अथवा अशुद्ध विवरण देकर अथवा सत्य को छिपा कर दिया था अथवा उसके द्वारा यह उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी अनुचित कार्य करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो तो उसका नाम बोनाफाइड कालेज पंजिका से काट दिया जायेगा।
8. वह छात्र जो अनुचित साधन के प्रयोग में दण्डित हुआ है अथवा विश्वविद्यालय में उसका नाम काली सूची में है अथवा उस पर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचारधीन है अथवा जिनका गत वर्ष प्रवेश आवेदन–पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत निरस्त कर दिया गया है, उनका भी प्रवेश नहीं हो सकेगा, यदि वास्तविकता को छिपाकर छात्र प्रवेश ले लिया है और प्रशासन के संज्ञान में वास्तविकता आ गया है तो ऐसे छात्र का प्रवेश भी निरस्त कर दिया जायेगा।
9. कोई भी छात्र किसी एक कक्षा में एक वर्ष (सत्र) तक ही संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन कर सकता है।
10. किसी भी समय असत्य विवरण देने पर या अमर्यादित व्यवहार करने पर छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

11. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश में आरक्षण विश्वविद्यालय के नियमानुसार लागू होगा।
12. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को अवश्य संलग्न किया जायेः–
    1. हाई स्कूल अंकतालिका एवं सनद की सत्यापित छायाप्रतियां।
    2. इण्टरमीडिएट अंक तालिका एवं सनद की सत्यापित छायाप्रतियां।
    3. स्नातक अंकतालिका एवं सनद की सत्यापित छायाप्रतियां।
    4. आचरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जो छः माह से अधिक का न हो।
    5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र होने पर जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
    6. अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र अथवा माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूलप्रति
    7. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो चिपकाया जाना चाहिए जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा तीन फोटो आवेदन पत्र के साथ नत्थी किया जाना चाहिए।
13. उक्त नियमों को परिवर्तन करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

le; lkj.kh

समय सारणी के अन्तर्गत 8.00 बजे से 4.00 बजे के बीच किसी भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। घोषित पीरियड/टाइम टेबुल में भी आवश्यक होने पर सत्र के अन्दर किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

LFkkukUrj.k izek.k&i=

पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) मूल प्रति अथवा उत्तर बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को माइग्रेशन प्रमाण–पत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में उनका नाम महाविद्यालय पंजीयन से काट दिया जायेगा।

'kYd fooj.k

बी0ए0 प्रथम वर्षः

शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, भवन, बिजली, पंखा इत्यादि	– रू0	3890.00
परीक्षा शुल्क, नामांकन, अंक–पत्र शुल्क	– रू0	1100.00
कुल योग		**रू0 4990.00**

बी0ए0 द्वितीय एवं तृतीय वर्षः

शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, भवन, बिजली, पंखा इत्यादि	– रू0	3990.00
परीक्षा शुल्क, अंक–पत्र शुल्क	– रू0	1000.00
कुल योग		**रू0 4990.00**

नोट : प्रयोगात्मक विषय लेने पर रू0 200.00 अतिरिक्त देय होगा।

एम0ए0 प्रथम एवं द्वितीय वर्षः

शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, भवन, बिजली, पंखा इत्यादि	– रू0	4790.00
परीक्षा शुल्क, अंक–पत्र शुल्क	– रू0	1200.00
कुल योग		**रू0 5990.00**

टिप्पणी : आवश्यकता पड़ने पर शुल्क तालिका में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।

'kYd Hkqxrku

प्रवेश के समय शुल्क के प्रथम किश्त का भुगतान एवं जनवरी में दूसरी एवं अन्तिम किश्त का भुगतान करना होगा।

iftdk l: uke dkVuk

1. यदि शुल्क (शिक्षण, प्रयोगाशाला अथवा अन्य किसी प्रकार का) या किसी प्रकार का छात्र/छात्रा से प्राप्त कोई अर्थदण्ड, निश्चित देय तिथि के पश्चात् दो महीने के भीतर छात्र/छात्रा द्वारा जमा नहीं करा दिया जाता है तो उसका नाम पंजिका से काट दिया जायेगा।

   इस प्रकार कटे नामों की सूची सूचना पट्टों पर विज्ञापित कर दिया जायगा। इस प्रकार के छात्र/छात्रा को नाम काटने की तिथि से कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। नाम काटने के पश्चात् से उसे उपस्थिति नहीं मिलेगी और उस प्रकार के छात्र/छात्रा को यदि किसी प्राध्यापक द्वारा उपस्थिति दी भी जाती है तो उसे उसकी उपस्थिति नहीं मानी जायेगी। यदि सत्र के मध्य में छात्र/छात्रा पढ़ाई बन्द करना चाहे तो लिखित रूप से प्राचार्य तथा लेखा विभाग को सूचित कर देना चाहिए ताकि उसके नाम पर शुल्क पढ़ाई छोड़ने के बाद की अवधि के लिए न बढ़ाया जाय।

2. यदि सूचना पट्टों पर नाम काटने की सूचना अंकित होने के दो महीने के भीतर छात्र/छात्रा अपना समस्त अवशिष्ट शुल्क अर्थ दण्ड सहित जमा कर देता/देती है तो उसका नाम पंजिका में पुनः लिख दिया जायेगा।

3. यदि छात्र/छात्रा का नाम पंजिका से कट जाता है तो उसका पुनः प्रवेश इस शर्त पर हो सकता है कि वह नाम कटे रहने की अवधि का भी शुल्क जमा कर दे। ऐसी स्थिति में उसे दौ सौ दस रूपया पुनः प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा।

4. कोई छात्र/छात्रा जिसका नाम शुल्क भुगतान न करने के कारण पंजिका से कट चुका है शुल्क भुगतान करके पुनः नाम लिखा लेने पर उस अवधि की उपस्थिति का दावा कर सकता/सकती है, जिस अवधि में उसका नाम कटा हुआ था।

Hkqxrku dh jlhn

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके द्वारा महाविद्यालय में जमा की गयी प्रत्येक धनराशि के लिए रसीद दी जायेगी। रसीद को सावधानी के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। प्रसंगवश उसकी रसीद किसी समय मांगी जा सकती है। प्रत्येक छात्र/छात्रा का लेजर नम्बर रसीद पर अंकित होता है। रसीद लेते समय छात्र/छात्रा का उत्तरदायित्व होगा कि वह देख ले कि सही लेजर नम्बर अंकित है या नहीं।

'kYd okilh

किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा। इस शुल्क की वापसी तभी हो सकती है जब या तो महाविद्यालय प्रवेश देना अस्वीकार कर दे अथवा पाठ्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था जारी रखने में महाविद्यालय असमर्थ हो। यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा और इस बात का कोई प्रभाव न पड़ेगा कि छात्र/छात्रा शुल्क देने के पश्चात् कक्षा में उपस्थित था या नहीं।

'kYd e: fj;k;r

महाविद्यालय में अध्ययनरत् एक ही परिवार के दो छात्रों के अध्ययन करने पर किसी एक छात्र के शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत होगी तथा तीन छात्र होने पर किसी एक छात्र के शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत और चार छात्र होने पर एक छात्र के शुल्क में 100प्रतिशत रियायत होगी। ऐसे छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि शुल्क के इस प्रकार की रियायत प्राप्त करने हेतु 30 सितम्बर तक अपना आवेदन पत्र कार्यालय में अवश्य जमा कर दें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ijh{kk 'kYd dh lj{kk

कोई अभ्यर्थी जो बीमारी अथवा किसी अन्य कारण वश किसी परीक्षा में बैठने में असमर्थ है, अपना परीक्षा शुल्क वापस लेने का अधिकारी नहीं होगा। फिर भी संतोषजनक कारण को देखते हुए कुलपति, दी0उ0उ0, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर बिना कोई शुल्क दिये उसे आगामी परीक्षा में बैठने की

अनुमति दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र कुलपति के पास इस प्रकार अवश्य भेज देना चाहिए कि वह उसे परीक्षा के आरम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त हो जाय। साथ में बीमारी की सभी स्थितियों में आवेदन–पत्र के साथ किसी योग्य चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए तथा जिस प्राधिकारी ने परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित किया हो, उसके माध्यम से शुल्क सुरक्षा का आवेदन–पत्र कुलपति को भेजा जाय।

ukekdu

बी0ए0 प्रथम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय नामांकन पत्र संख्या भरना आवश्यक होगा जिसके लिए समयानुसार सूचना दी जायेगी। कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना नामांकन नहीं करा लेगा, विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगा।

fo"k; ifjorZu

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना विषय सावधानी से चुनें। नियमतः एक बार चुने गये विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में उचित कारण प्रस्तुत करने पर प्रवेश समिति की संस्तुति पर प्राचार्य द्वारा विषय परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु इस आशय का प्रार्थना–पत्र 31 अक्टूबर तक कार्यालय मे प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद इस प्रकार के किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

ifjp;&i=

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।
2. बी0ए0 प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश तिथि को ही नियन्ता कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भर कर और तीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर अपना नाम पंजीकृत करा लेना चाहिए और परिचय पत्र तैयार हो जाने पर उसे कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए।
3. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए।
4. परिचय पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को सदैव अपना परिचय–पत्र साथ लाना होगा।
5. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में महाविद्यालय कार्यालय में रू0 25.00 जमाकरने पर दूसरा परिचय–पत्र बन सकेगा।
6. परियच पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय का कोई प्रमाण–पत्र या सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेगा।

fu;Urk lfefr ,oa vuq'kklu 0;oLFkk

1. महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा की गतिविधि पर निगरानी रखने और अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक नियन्ता समिति या प्राक्टोरियल बोर्ड गठित है।
2. नियन्ता समिति द्वारा दी गई सूचनाओं और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय के अनुशासनिक नियम निम्नलिखित हैं–
   (क) महाविद्यालय में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शान्तिपूर्वक सुलझाई न जा सके।
   (ख) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
   (ग) महाविद्यालय में किसी छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
   (घ) जब कक्षायें चल रही हों तो बरामदे में शान्ति बनाये रखें।
   (ड.) छात्राओं के कामन रूम के पास खड़े न हों।
   (च) अपना परिचय–पत्र सदैव अपने पास रखें, जिसके अभाव में दण्डित हो सकते हैं।
   (छ) अपनी साइकिलें महाविद्यालय के स्टैण्ड पर ही रखें।

(ज) महाविद्यालय के भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायें। दीवालों और फर्नीचर को गन्दा न करें। परिसर में पान पराग, तम्बाकू, सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग निषिद्ध है।

(झ) अपनी समय सारिणी के अनुसार ही महाविद्यालय आयें। अन्य समय अकारण महाविद्यालय परिसर में प्रवेश और उपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।

(ञ) किसी कार्य के लिए स्वयं सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी से मिलें। किसी भी प्रकार की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।

(ट) अपने साथ महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति को न लायें।

(ठ) महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट–भाषा, शालीन आचरण और सामान्य व अनुत्तेजक परिधान ही अपनायें।

(ड) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कार्य न करें जिससे आपका अथवा महाविद्यालय का नाम कलंकित हो।

4. किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार, अपराध या अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गुरूता के अनुरूप उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

(क) चेतावनी

(ख) अर्थदण्ड

(ग) वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना

(घ) निलम्बन (संस्पेंशन)

(ड.) चरित्र प्रमाण–पत्र का न दिया जाना या निरस्तीकरण

(च) निष्कासन (एक्सपल्शन)

(छ) निस्सारण (रिस्टीकेशन)

विशेष :– उपरोक्त वर्णित में से एक या एक से भी अधिक प्रकार का दण्ड आवश्यकतानुसार दिया जा सकेगा तथा दण्ड में किसी निर्धारित क्रम के पालन की बाध्यता नहीं होगी।

Nk=ofÙk

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अत्यन्त गरीब छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र/छात्रा को शुल्क तथा किताबें दी जाती हैं। इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को चाहिए कि महाविद्यालय के प्रबन्धक के पास अपना आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक अवश्य पहुँचा दें। समस्त प्राप्त आवेदनों पर प्रबन्धनकारिणी समिति द्वारा विचारोपरान्त चयनित छात्र/छात्रा को उक्त सुविधा प्रदान की जायेगी। गरीब छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता निम्न छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है :–

1. **श्रीमती गुलाबी देवी स्मृति छात्रवृत्ति**
(श्री रविकान्त तिवारी निवासी ग्राम–सिलहटा, पोस्ट–विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर द्वारा अपनी दादी की स्मृति में)

2. **श्रीमती परमज्योति देवी स्मृति छात्रवृत्ति**
(श्री रामशरण यादव निवासी ग्राम–रानापार, पोस्ट–विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर द्वारा अपनी माँ की स्मृति में)

3. **श्रीमती मनबासा देवी स्मृति छात्रवृत्ति**
(श्रीमती इन्दू राय पत्नी डॉ0 सुरेश चन्द्र राय निवासी मो0 राय कालोनी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर द्वारा अपनी सास की स्मृति में)

4. **श्री रामनगीना यादव स्मृति छात्रवृत्ति**
(श्री मनोज यादव निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर, पोस्ट पलिपा, गोरखपुर द्वारा अपने पिता की स्मृति में)

5. **श्री कल्पनाथ राय स्मृति छात्रवृत्ति**

(श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, गोरखपुर द्वारा)

lekt dY;k.k Nk=ofÙk

महाविद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त होंगे। आवेदन पत्र में दी गयी प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु वांक्षित प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। आय एवं जाति प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा दिया गया मान्य होगा। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्र/छात्रा को 31 जुलाई तक आवेदन पूर्ण कर के कार्यालय में जमा कर देना होगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि से मार्च तक दिया जायेगा। उक्त छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी जिनकी उपस्थिति 75% होगी। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। उक्त छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण संचालक समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

iLrdky;h; 0;oLFkk

महाविद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा नियमानुसार पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके लिये आवश्यक औपचारिकताएँ अभ्यर्थी को पूर्ण करनी होगी। प्रत्येक विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है तथा वाचनालय में विभिन्न प्रकार के समाचार–पत्र, पत्रिकाओं आदि की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय सम्बन्धी विशेष विवरण, पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। पुस्कालय से किसी भी विद्यार्थी को टेक्स्ट–बुक नहीं प्राप्त होगा। पुस्तकालय से पुस्तकों की प्राप्ति निर्धारित पुस्तकालय कार्ड पर दी जाती हैं। उसके खो जाने पर कार्यालय में रू0 25/– जमा करके दूसरा कार्ड प्राप्त हो सकेगा।

f'k{k.kRrj dk;ZØe

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास हेतु खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है। खेलकूद पर विशेष महत्व दिया जाता है तथा व्यवहार कुशल अच्छे आचरण वाले विद्यार्थियों को अर्थिक सहायता भी दी जाती है। खेल अधीक्षक की अनुमति से विद्यालय का कोई खिलाड़ी बाहरी टीम में खेलने का अधिकारी होगा किन्तु बिना अनुमति के बाहरी टीम में खेलने वाले छात्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। खेल–कूद के साथ ही साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अभिरूचि पैदा की जाती है एवं उन्हें यथोचित रूप से प्रोत्साहित करने के लिये महाविद्यालय प्रयत्न करता है। छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा के विकास हेतु इस वर्ष से एक पत्रिका के प्रकाशन की योजना है।

ØhMk ifj"kn

महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद की ओर से विभिन्न खेलों (एथेलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिण्टन, टेनिस, टेबुल टेनिस, हैण्डबाल, कैरम बोर्ड, कुश्ती, कबड्डी आदि) की सुविधा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा से किसी न किसी एक खेल में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। छात्र/छात्राओं को क्रीड़ा परिषद् कार्यालय में जाकर निर्धारित प्रपत्र लेकर आवेदन–पत्र भर देना चाहिए। उसमें अपने पूर्वकालीन वृत्त का उल्लेख करते हुए संकेत कर देना चाहिए कि वे किन खेलों को पसन्द करेंगे।

jk"Vªh; lsok ;kstuk

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) की दो इकाई–**सन्तकबीर इकाई** एवं **राम प्रसाद "विस्मिल" इकाई** का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले

छात्र/छात्रा कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना से उनके कार्यालय में सम्पर्क करें। केवल स्नातक कक्षाओं के छात्र/छात्रा राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य हो सकते है। छात्र/छात्राओं को दो वर्ष की अविच्छिन्न सदस्यता अवधि पूरी करने पर नियमानुसार प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के पश्चात् यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार तीन वर्ष तक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता/होती है तो उसके बाद उस छात्र/छात्रा द्वारा स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा निरस्त मानकर आगामी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह नियम व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के छात्रों के लिए लागू होगा।

iqjLdkj@i'kfLr&i=

महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रकार के पुरस्कार एवं दक्षता प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैः–

1. महाविद्यालय में दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को गोरखपुर की एक स्वयंसेवी संस्था ''नागेन्द्र सिंह दाढ़ी बाबा सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है :–

(क) बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को **'दाढ़ी बाबा विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार**।

(ख) बी0ए0 द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को **स्व0 श्रीमती फुलझारो देवी स्मृति पुरस्कार**।

(ग) बी0ए0 तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को **स्व0 श्यामदेव सिंह स्मृति पुरस्कार**।

2. स्नातक कला संकाय की परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, गोरखपुर द्वारा स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
3. अन्तर विश्वविद्यालयी अथवा राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर महाविद्यालय द्वारा सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
4. निबन्ध एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ/उत्कृष्ठ स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
5. विभिन्न प्रकार के खेलकूद में उच्च स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
6. किसी अति विशिष्ट उपलब्धि पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

mifLFkfr

दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति संबंधी नियम कालेज अक्षरशः कार्यान्वित करता है। किसी भी विद्यार्थी को नियमित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जायेगी जब उसका दिये हुए व्याख्यानों के बीच उपस्थिति कम से कम 75% रहेगी।

अभिभावकों से आशा की जाती है कि अपने प्रति–पाल्यों की कालेज में उपस्थिति का ध्यान रखें।

अध्यापक अपनी व्याख्यान पंजिकाओं में उपस्थिति का ब्योरा रखते हैं विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विषय के प्राध्यापकों से समय–समय पर अपनी उपस्थिति की स्थिति जानने के लिए सम्पर्क करते रहें।

izek.k i=k d fy, vkonu&i=

किसी भी प्रयोजन के निमित्त कालेज प्रमाण–पत्र चाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि जिस तिथि को उन्हें प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता हो उस तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व आवेदन करें। स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के लिए रूपये 50/– शुल्क के रूप मे देय है।

चरित्र प्रमाण–पत्र एवं बोनाफाइड प्रमाण–पत्र हेतु द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए रू0 50/– शुल्क लेखा विभाग में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

lkbfdy LV.M

सभी विद्यार्थी अपनी साइकिल स्टैण्ड पर ही रखेंगे। साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था हेतु प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 20/– (बीस रूपया) जमा करेंगे । साइकिल रखने की व्यवस्था अध्यापन कार्य आरम्भ होने की तिथि से ही की जायेगी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी साइकिलों में सुरक्षित एवं मजबूत ताले लगायें और उन्हें सावधानी से बन्द करें।

lekjksg

महाविद्यालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित समारोह/उत्सव आयोजित किये जाते है। प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त समारोह/उत्सव में समय से अवश्य उपस्थित हो।

1. स्वाधीनता दिवस – 15 अगस्त
2. शिक्षक दिवस – 5 सितम्बर
3. गांधी जयन्ती – 2 अक्टूबर
4. वार्षिकोत्सव – दिसम्बर माह में
5. युवा सप्ताह – 12–19 जनवरी
6. गणतन्त्र दिवस – 26 जनवरी
7. बसन्तोत्सव – फरवरी माह में।

dk;kZy; le;

प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में कार्यालय का समय प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 2.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक होगा।

Jh dYiukFk jk; fo|k izlkjd lfefr] xkj[kiqj

इस महाविद्यालय में श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे समस्त कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा। समय–समय पर श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, गोरखपुर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा वैज्ञानिक खेती, तकनीकी शिक्षा के सन्दर्भ में विचार गोष्ठी आयोजित किया जायेगा। यह कार्यक्रम श्री कल्पनाथ राय विद्या प्रसारक समिति, 27–ए, न्यू राय कालोनी, महेवा चुंगी, गोरखपुर–273016 के मानकों के अनुरूप होगा।

lg;ksx

महाविद्यालय की स्थापना हेतु संसाधनों की अत्यन्त आवश्यकता है। छात्रों एवं गणमान्य सामर्थ्यवान नागरिकों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा महाविद्यालय परिवार को है, ताकि महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके।